रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-17102023-249488 CG-DL-E-17102023-249488

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 706] No. 706] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 17, 2023/आश्विन 25, 1945 NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 17, 2023/ASVINA 25, 1945

भारतीय मानक ब्यूरो

(उपभोक्ता मामले विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 12 अक्तूबर, 2023

संदर्भ: HQ-PUB-BIS (715).—भारतीय मानक ब्यूरो एतदद्वारा भारत के राजपत्र में निचे दिए गए सन्दर्भों में भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारत के राजपत्र भाग III, खंड 4 में भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत भारत सरकार की अधिसूचनाओं में निम्नलिखित संशोधनकरता है:

1) **संदर्भ: HQ-PUB012/1/2020-PUB-BIS (692) दिनांक 3 अक्टूबर 2023** (प्रकाशित दिनांक 5 अक्टूबर 2023)

अंग्रेजी अनुसूची के क्रम संख्या 1,2,3, एवं 5 के कॉलम (5) में — '28 मार्च 2023' को '28 मार्च 2024' से प्रतिस्थापित करें|

> पी. राजेश, वैज्ञानिक एफ एवं उप महानिदेशक (आई टी एस, पी आर टी एवं टी एन एम) [विज्ञापन-III/4/असा./488/2023-24]

6604 GI/2023 (1)

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Department of Consumer Affairs)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 12th October, 2023

Ref: HQ-PUB-BIS (715).—Bureau of Indian Standards hereby makes the following AMENDMENT to the NOTIFICATION of Government of India under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs) in Part III, Section 4 of the Gazette of India in pursuance of sub-rule (1) of Rule 15 of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018.

1) Extraordinary vide HQ-PUB012/1/2020-PUB-BIS (692) dated 3rd October 2023 (Published on 5 October 2023)

Sl No. 1,2,3, and 5 column (5) of schedule — Substitute '28 March 2024' for '28 March 2023'.

P. RAJESH, Scientist F & DDG (ITS, PRT & TNM)

[ADVT.-III/4/Exty./488/2023-24]